केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/98 दिनांक: 18.04.2019
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00084
CICOM/R/2019/00248

अपीलकर्ता : श्री आनन्द किशोर पण्डा,
लक्ष्मणनगर, गुमला,
झारखंड - 835207.

निर्णय की तारीख : 18.04.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	07.03.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	20.03.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. पी. ग्रोवर
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	03.04.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	128/10.04.2019 (11209/09.04.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 07.03.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील आदेश सं. CIC/AD/C/2013/001825 के Non-Compliance के संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग के उप-पंजीयक द्वारा दिनांक 15.02.2019 को लिखे गए पत्र के अनुपालन में प्राफेसनल असिस्टेन्स फॉर डेवलपमेंट एक्शन (प्रदान) के जन सूचना अधिकारी द्वारा आयोग को दिए गए जवाब जवाब की प्रति की मांग की गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. अपीलकर्ता का आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रथम अपील आवेदन तथा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन हिंदी भाषा में दाखिल किया गया है, जबकि श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा अंग्रेजी भाषा में सूचना उपलब्ध करवाई गई है जिसे अपीलकर्ता ठीक प्रकार से समझ नहीं पाए हैं । श्री आर. पी. ग्रोवर द्वारा प्रदान की गई सूचना में लिखा गया है - "This has reference to the RTI application dated 07.03.2019 forwarded to this registry by the nodal CPIO on 18.03.2019 for reply of RTI application", जिसका हिंदी मतलब - आर.टी.आई. आवेदन दिनांक 07.03.2019 जिसे नोडल सी.पी.आई.ओ. द्वारा दिनांक 18.03.2019 को आर.टी.आई. आवेदन का जवाब देने के लिए इस रजिस्ट्री को अग्रसारित किया गया के संदर्भ में है, आगे श्री आर. पी. ग्रोवर द्वारा लिखा गया है - "No reply has been received from the respondent" जिसका हिंदी मतलब है - रेस्पोंडेंट अर्थात संबंधित विभाग से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है" । श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । परन्तु सूचना अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में हिंदी में प्राप्त आर.टी.आई. आवेदनों से संबंधित सूचना हिंदी भाषा में ही उपलब्ध करवाई जाए, यदि हिंदी टंकण जानने वाले कार्मिक उपलब्ध न हों तो हाथ से लिखकर भी सूचना प्रदान की जा सकती है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
22 APR 2019
D. No.
Initials

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।